न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
1515/2015	01.01.2015	05.6.2023

उनवान

1. शेरसिंह पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
2. विद्यासागर पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
3. सविता पुत्री रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
4. कृष्णा पुत्री रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
5. बिमला पुत्री रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
6. रंगराव पुत्र गणेशीलाल जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना .... मृतक।
   - 6/1 बीरमती पुत्री रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना
   - 6/2 सविता पुत्री रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
   - 6/3 प्रेरता पुत्री रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
   - 6/4 बलजीत कुमार पुत्र रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
   - 6/5 सतीश कुमार पुत्र रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. किशनचन्द पुत्र घडसीराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
2. मेहरचन्द पुत्र घडसीराम जाति अहीर ढाणी बिहारी की तन रायसराना ....मृतक
   - 2/1 श्यामलाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना
   - 2/2 ज्ञानचन्द पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   - 2/3 रामू पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   - 2/4 विरेन्द्र पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   - 2/5 धर्मपाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   - 2/6 रामरति पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना
3. रामपालसिंह पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
4. जगराम पुत्र बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना...... मृतक।
   - 4/1 हवासिंह पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   - 4/2 कुलदीप पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
5. महावीर पुत्र बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
6. गिलकराज पुत्र बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
7. कमला पुत्री बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना हाल पत्नी रामचन्द यादव निवासी खरखोदा शेरपुर तह0 पटोदी .... मृतक।
   - 7/1 मुनेश पुत्री कमला जाति अहीर हाल पत्नी गजराजसिह निवासी बहोडा कलां तह0 पटोदी।
   - 7/2 कविता पुत्री कमला जाति अहीर हाल पत्नी राजपाल निवासी बहोडा कलां तह0 पटोदी।
   - 7/3 रवीन्द्र पुत्र कमला जाति अहीर निवासी खरखोदा शेरपुर तह0 पटोदी।
   - 7/4 सविता पुत्री कमला जाति अहीर हाल पत्नी राजकुमार निवासी भोकरका तह0 पटोदी हरियाणा।

:— प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात।
अन्तर्गत धारा 88,89 वराजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः— 1 श्री हंसराज यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. हाल 225/0.49,226/0.47,227/0.53,228/0.06,229/0.50 वाके ग्राम रायसराना तह0 नीमराना स्थित है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के अनुसार मिन साबिक नं0 से हाल ख0नं0 निम्न प्रकार कायम किए गए हैः—

हाल	साबिक	हाल	साबिक
255/0.49	29मि0/3—18	228/0.06	29मि0/————
226/0.47	30मि0/03—14	229/0.50	29मि0/————
227/0.53	30मि0/————		

उक्त हाल ख0नंम्बरान हाल जमाबंदी मे प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। साबिक जमाबंदी संवत 2033 के अनुसार ख.नं. 28/03—18,30/03—14 सरदार सिंह पुत्र कालुसिंह 1/4,बुद्वसिंह पुत्र भुरसिंह 1/4,मंगतुसिंह पुत्र उमरावसिंह 1/2 खातेदार दर्ज हैं तथा ख0नं0 29/03—18 सरदारसिंह पुत्र कालुसिंह,मगंतुसिंह पुत्र उमरावसिंह खातेदार दर्ज हैं। सरदारसिंह पुत्र कालुसिंह फौत हो चुका है जिसकी विरासत का इंतकाल उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गया है। सरदारसिंह के वारिसान ने अपना कुल 1/4 भाग मे से निष्फ भाग दिनांक 09.02.81 को वादीगण शेरसिंह,विद्यासागर को व निष्फ भाग हम वादीगण 01 लगा0 05 के पिता रघुवीरसिंह के हके मे जरिये रजि0 बयनामा विक्रेय कर दिया जिस पर हम वादीगण काबिज काश्त है तथा मंगतु का जो 1/2 भाग था उस मे से ख.नं. 29/03—18 दिनांक 26.07.78 को वादीगण 01 लगा. 05 के पिता रघुवीरसिह व उनके भाई रंगराव ने जरिये रजि0 बयनामा क्रय कर लिया। इसी प्रकार ख.नं. 30/03—14 मे मंगतु ने अपना कुल निषफ भाग वादी सं0 01 लगा0 05 के पिता रघुवीरसिंह व उनके भाई रंगराव को दिनांक 01.06.77 जरिये रजि0बयनामा विकय कर दिया। इस प्रकार कुल आराजी मुतनाजा 1/8 भाग वादीगण 01 व 02 ने खरीद कर लिया व 3/8 भाग वादीगण 01 लगा0 05 के पिता रघुवीर ने खरीद कर लिया व 1/4 भाग वादी सं0 06 ने खरीद कर लिया व शेष 1/4 भाग का मूल खातेदार बुद्वसिंह पुत्र भूरसिंह का रह गया। अब चुकि वादीगण 01 लगा0 05 के पिता रघुवीर सिंह फौत हो चुके है उनके वारिसान हम वादीगण 01 लगा0 05 बयहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार काबिज है। इसी प्रकार हम वादीगण सं0 01 लगा0 05 के पिता रघुवीरसिंह के खरीदशुदा कुल हक 3/8 भाग मे वादीगण 1 लगा0 05 बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के मुस्तहक है। इसलिए कुल आराजी मुतनाजा मे वादी सं. 01 का 11/80 भाग व वादी सं. 02 का 11/80 भाग व वादी सं0 03 लगा0 05 प्रत्येक का 03/40 भाग व वादी स0 06 का 1/4 भाग है। जो जमाबंदीयात हाल वादीगण के हकूकों तक बातील व बेअसर करार दिए जाकर इसी प्रकार वादीगण को आराजी मुतनाजा मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजातमाल मे दुरूस्त करार दिया जाना न्यायासंगत है व इसी आशय की डिक्री वादीगण प्राप्त करने के मुस्तहक है।

2. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं:—
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि आराजी मुतनाजा हाल ख.नं. 225/0.49,226/0.47,227/0.53,228/0.06,229/0.50,229/0.50 वाके ग्राम रायसराना मे वादी सं0 01 का 11/80 भाग वादी सं. 02 का 11/80 भाग व वादी सं0 03 लगा0 05 प्रत्येक का 3/40,3/40 भाग व वादी सं. 06 का 1/4 भाग है। जिसे वादीगण घोषित करवाने के मुस्तहक है हाल जमाबंदी संवत 2066—67 वाके

ड अधिकारी
राना (अलवर)

रायसराना मे वादीगण के हक तक प्रतिवादीगण के नाम के इंद्राजात बातिल व बेअसर करार दिए जाकर इसी प्रकार से दुरूस्त किए जाने योग्य है।
(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(ग) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण सं0 03 व 04 ने वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थिति नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत कि गई।

4. वादीगण ने साक्ष्य मे विद्यासागर पुत्र रघुवीर का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01,होशियार सिंह पुत्र सांवतसिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02 पेश किए है,तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2033 प्रर्दश 01,02,नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रर्दश 03,नकल जमाबंदी संवत 2066 प्रदर्श 04,नकल बैयनामा प्रदर्श 05,06,07,08,नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 09,नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 10,11 पेश किए है।

5. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रर्दश 04 व नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03 के अनुसार विवादित हाल ख.नम्बरान निम्न प्रकार कायम किए है:

संवत 2042			
हाल	साबिक	हाल	साबिक
225/0.49	29 मिन/03–18	226/0.47	30मिन/03–14
227/0.53	30 मिन/—	228/0.06	29मिन/—
229/0.50	29 मिन/—	————	————

नकल बयनामा प्रदर्श 05 व 07 के अवलोकन से साबित है कि रेशम बेवा सरदार सिंह ने अपना व अपने नाबालिग बच्चे के हिस्से के आराजी ख0नं 29/03–18,30/03–14 के 1/8 भाग का बेचान रघुवीर पुत्र गणेशी को व 1/8 भाग का बेचान शेरसिंह,विद्यासागर पुत्रान रघुवीर को किया है। तथा प्रदर्श 06 नकल बैयनामा के अवलोकन से साबित है कि ख.नं. 30/03–14 के 1/2 भाग का बेचान मंगतु पुत्र उमराव ने रघुवीर,रंगराव पुत्रान गणेशी को किया है। तथा नकल बैयनामा प्रदर्श 08 के अनुसार मंगतु पुत्र उमराव ने ख.नं. 29/03–18 के 1/2 भाग का बेचान रघुवीर,रंगराव पुत्रान गणेशी के पक्ष मे किया है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि ख.नं. 29,30 मे केवल 1/4 भाग बुद्यसिंह पुत्र शेरसिंह का शेष रहा यानि 3/4 भाग का बेचान किया जा चुका था। नकल जमाबंदी संवत 2066 प्रदर्श 04 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख.नं. 29 व 30 के जो हाल ख.नं. 225,226,227,228,229 कायम हुए है जो किशन,मेहरचन्द पिता घडसी संभाग हिस्सा 1/2 रामपालसिंह पुत्र चिरंजी हि0 1/4 जगराम,महावीर,गिलकराज पिता बिहारी,कमला पुत्री बिहारी संभाग हिस्सा 1/4 खातेदार दर्ज है जबकि साबिक ख.नं. 30, 29 के रकबे मे से 3/4 भाग का बेचान हो चुका था तो हाल ख.नं. पर प्रतिवादीगण को 1/4 भाग पर ही खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी,मिलान क्षेत्रफल व बयनामा के आधार पर वाद वादीगण भंलि भांति साबित होता है। जो वाद काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल ख.नं. 225/0.49,226/0.47,227/0.53,228/0.06,229/0.50 वाके ग्राम रायसराना तह0 नीमराना के 3/4 भाग का वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। 3/4 भाग से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादी सं0 01, 11/80 भाग व वादी सं0 02 को 11/80 भाग व वादी सं0 03 लगा0 05 प्रत्येक को 3/40 भाग व वादी सं. 06 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा 1/4 भाग प्रतिवादीगण के नाम उनके हिस्से के अुनसार यथावत रहेगा। तदानुसार ही वाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.6.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

5/6/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुल सिंह (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
1615 / 2015	01.01.2015	05-6-2023

उनवान

1. शेरसिंह पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
2. विद्यासागर पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
3. सविता पुत्री रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
4. कृष्णा पुत्री रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
5. बिमला पुत्री रघुवीर जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
6. रंगराव पुत्र गणेशीलाल जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना .... मृतक।
   6/1 वीरमती पुत्री रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
   6/2 सविता पुत्री रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
   6/3 प्रेरता पुत्री रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
   6/4 बलजीत कुमार पुत्र रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
   6/5 सतीश कुमार पुत्र रंगराव जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. किशनचन्द पुत्र घडसीराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना तह0 नीमराना।
2. मेहरचन्द पुत्र घडसीराम जाति अहीर ढाणी बिहारी की तन रायसराना ....मृतक
   2/1 श्यामलाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना
   2/2 ज्ञानचन्द पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   2/3 रामू पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   2/4 विरेन्द्र पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   2/5 धर्मपाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   2/6 रामरित पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना
3. रामपालसिंह पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
4. जगराम पुत्र बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना...... मृतक।
   4/1 हवासिंह पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
   4/2 कुलदीप पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
5. महावीर पुत्र बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
6. तिलकराज पुत्र बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना।
7. कमला पुत्री बिहारी जाति अहीर निवासी ढाणी बिहारी की तन रायसराना हाल पत्नी रामचन्द यादव निवासी खरखोदा शेरपुर तह0 पटोदी .... मृतक।
   7/1 मुनेश पुत्री कमला जाति अहीर हाल पत्नी गजराजसिंह निवासी बहोड़ा कलां तह0 पटोदी।
   7/2 कविता पुत्री कमला जाति अहीर

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात।
अन्तर्गत धारा 88,89 वराजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः— 1 श्री हंसराज यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांकः 05.6.2023

—::पर्चा डिक्रीः:—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल ख.नं. 225/0.49,226/0.47,227/0.53,228/0.06,229/0.50 वाके ग्राम रायसराना तह0 नीमराना के 3/4 भाग का वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। 3/4 भाग से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादी सं0 01, 11/80 भाग व वादी सं0 02 को 11/80 भाग व वादी सं0 03 लगा0 05 प्रत्येक को 3/40 भाग व वादी सं. 06 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा 1/4 भाग प्रतिवादीगण के नाम उनके हिस्से के अुनसार यथावत रहेगा। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

5/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)